PRITANJALI SINGH

Digitally signed by PRITANJALI SINGH
Date: 2024.07.20 17:28:59 +0530

प्रकरण क्रमांक— यू.एन.सी.आर. 157/2023
फाईलिंग नं. 1640/2023
सी.एन.आर. नं. एम.पी. 060700021382023
उनमान— आमिर खां विरूद्ध टीपू आदि

20.07.2024

परिवादी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

परिवादी की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध परिवाद धारा 323, 324, 34, 307, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 के अंतर्गत पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु परिवादी प्रकरण में न तो स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा न ही उनके द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। परिवादी के अनुपस्थिति का कोई कारण भी अभिलेख पर नहीं है।

अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के अभाव मे खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजीबद्ध कर विधिक समयावधि मे अभिलेखागार भेजा जाए।

(प्रितांजली सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सबलगढ जिला मुरैना (म0प्र0)